कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल (बहजोई)।

पत्रांक 158/जि.पं.स./नि.अनु./पं.रा.वि./2026–27 दिनांक 11/05/2026

ई–निविदा सूचना

समक्ष स्तर द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में जिला पंचायत, सम्भल में वर्ष 2026–27 के लिये पंजीकृत समस्त ठेकेदारों सहित उत्तर प्रदेश की अन्य जिला पंचायतों, लोक निर्माण विभाग, व सिचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के मध्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 03 कार्यों की पुनः ई–निविदाऐं एवं 08 नवीन निर्माण कार्यों की ई–निविदाऐं दिनांक 29.05.2026 तक आमंत्रित तक पोर्टल https://etender.up.nic.in आमंत्रित की जाती हैं, जिमके खोलने की कार्यवाही दिनांक 30.05.2026 से निविदा समिति द्वारा की जायेगी। समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/मा. अध्यक्ष में निहित होगा। उक्त विज्ञप्ति एवं निविदा के साथ अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों/शर्तों का सम्पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अथवा पोर्टल http://sambhal.nic.in, https://etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है।

अभियन्ता
जिला पंचायत,सम्भल।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा. जिला न्यायाधीश महोदय, जनपद सम्भल, स्थित चन्दौसी। (पंजीकृत डाक द्वारा)
2. मा. अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, सम्भल।
3. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सम्भल।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), सम्भल (बहजोई) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, कृपया उक्त सूचना एवं संलग्न शर्तों को पोर्टल https://sambhal.nic.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. निविदा समिति, जिला पंचायत, सम्भल।
7. अभियन्ता, जिला पंचायत, सम्भल को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित अवधि में समस्त कार्यों की बी.ओ.क्यू. एवं विज्ञप्ति/शर्ते पोर्टल https://etender.up.nic.in पर अपलोड तथा निर्धारित तिथि को खुलवाना सुनिश्चित करें।
8. वर्ष 2026–27 में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार, समस्त जिला पंचायतें/सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को ऑनलाइन पोर्टल https://etender.up.nic.in, http://sambhal.nic.in पर प्रदर्शित सूचना एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना के माध्यम से सूचनार्थ।
9. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र, आज एवं उत्तर केसरी, बहजोई को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में केवल अंकन 2,500/– रू. की सीमा तक, एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल

कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल (बहजोई)

पत्रांक 158 जि.पं.स./नि.अनु./पं.रा.वि./2026–27 दिनांक 11/05/2026 द्वारा जारी विज्ञप्ति की समस्त शर्तें/कार्यों का सम्पूर्ण विवरण

क्र.सं.	विवरण
1	निविदादाता द्वारा निविदा की वित्तीय बिड खुलने तक दिया गया, किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र मान्य नहीं होगा।
2	निविदाओं में कोई भी सेवानिवृत्त/सेवारत, राजपत्रित अधिकारी, बार काउन्सिल में कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिला पंचायत, सम्भल में कार्यरत कोई भी कर्मचारी एवं जिला पंचायत, सम्भल के मा. सदस्य का निकट सम्बन्धी व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा।
3	ठेकेदार निविदा सबमिट करने से पूर्व सम्बन्धित कार्य का निरीक्षण कर लें।
4	जमानत/धरोहर राशि जी.एस.टी. पंजीकरण में अंकित फर्म/व्यक्ति के नाम से स्वीकार की जायेगी।
5	यदि निविदा के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र/परिशिष्ट जारी किया जाता है, तो इसकी सूचना पोर्टल https://etender.up.nic.in,http://sambhal.nic.in पर प्रदर्शित होगी।
6	जिला पंचायत, सम्भल में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य जिला पंचायतों, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की किसी विशिष्ट कार्य के लिए टेण्डर के न्यूनतम होने की दशा में ठेकेदार से जिला पंचायत में रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में अंकन रू0 10,000/– की धनराशि जमा करने के साथ ही जनपद सम्भल के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी करने सम्बन्धी लाईसेन्स (प्रपत्र–25) अंकन रू0 10,000/– जमा कराते हुए अंकन रू0 50,000/– की जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त अनुबन्ध गठित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।
7	शासनादेश संख्या 1791/33–2–2020–198जी/2019 दिनांक 07.09.2020 में जिला पंचायतों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली की निविदा प्रक्रिया में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि के सत्यापन के सम्बन्ध में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है और असामाजिक तत्वों द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित न किया जा सके। अतएव इस प्रयोजन से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के पत्र में बन्धक कराने पर प्राप्त ट्रांसेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी।
8	प्रत्येक निविदादाता/ठेकेदार निविदाओं के साथ 02 प्रतिशत धरोहर की धनराशि इन्टरनेट बकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./राष्ट्रीकृत बैंक का एफ.डी.आर. के द्वारा स्वीकार की जायेगी। जिसका ट्रांसेक्शन नम्बर निविदा सबमिट करते समय अपलोड किया जयेगा। निविदा मूल्य (मय जी.एस.टी.) की धनराशि एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किया जायेगा। निविदा शुल्क जमा करने हेतु खाता (ZILA NIDHI ZILA PANCHAYAT, SAMBHAL A/C 85912210037265, IFSC- CNRB0018591, CANARA BANK, BAHJOI) में जमा किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता धरोहर धनराशि जमा करना चाहे तो वह उपरोक्त खाते जमा कर सकता है।
9	प्रत्येक निविदादाता/ठेकेदार को क्रमशः 1. निविदा शुल्क की पावती रसीद 2. जमानत/धरोहर राशि (अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है) की पावती रसीद 3. हैसियत प्रमाण पत्र 4. चरित्र प्रमाण पत्र 5. वर्ष 2026–27 का विभागीय ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र 6. जिला पंचायत का ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी करने सम्बन्धी वर्ष 2026–27 का लाईसेन्स 7. अमृत सरोवर का अनुभव प्रमाण पत्र 8. भू–माफिया सम्बन्धी शपथ पत्र (अंकन 100/– रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त व मय फोटो नोटरी से प्रमाणित) सहित अभिलेख पृथक–पृथक कार्यवार स्वप्रमाणित प्रतियॉ स्केन करते हुए निविदा सबमिट करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप शर्तो साथ संलग्न है।
10	निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त अनुबन्ध के समय 08 प्रतिशत की धनराशि प्रपत्र संख्या–5/एफ.डी.आर./इन्टरनेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से स्वीकार की जायेगी एवं शासनादेश 692/23–07–2024 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी, जो 10 प्रतिशत जमानत से अतिरिक्त होगी।
11	शासनादेश संख्या 305/33–सेल/2019 दिनांक 26.02.2019 के अनुपालन में कार्य की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अन्तिम भुगतान की तिथि से 02 वर्ष बाद तक रहेगी।
12	निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की दशा में नियमानुसार विलम्ब शुल्क प्रभावी होगा।
13	निविदा मूल्य किसी भी अपिहार्य/निविदा निरस्त की स्थिति में वापस नहीं किया जयेगा।
14	शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों/मा. न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन अनिवार्य सुनिश्चित करना होगा।
15	शासन द्वारा कोविड–19 के शासनादेशों का पालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
16	यदि निविदा पर समान दर प्राप्त होती है तो पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका पृथक से निविदा शुल्क देना होगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत,सम्भल

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल

17	आनलाइन निविदा स्वीकृत होने पर पोर्टल द्वारा निविदा स्वीकृत सम्बन्धी सूचना ई–टेण्डर पोर्टल पर ठेकेदार के पंजीकृत मोबाईल एवं ई–मेल पर स्वतः प्रेषित हो जाने क उपरान्त ठेकेदार को यथाशीघ्र कार्यालय में सम्पर्क करना अनिवार्य होगा।
18	ठेकदार/फर्म द्वारा जी.एस.टी का अन्तिम जी.एस.टी.आर.–3बी या जी.एस.टी.आर.–1 अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19	प्रत्येक कार्य का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा तथा निर्माण कार्य करने के दौरान यदि किसी श्रमिक के साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो उनके चिकित्सा पर आने वाले प्रतिपूर्ति का भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा तथा जिला पंचायत द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा। अन्यथा ठेकेदार की जमानत जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया सकता है।
20	निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट अनिवार्य रूप से की जायेगी।
21	तकनीकी बिड स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने से पूर्व तकनीकी बिड में अपलोड अभिलेखों का सत्यापन कराया जायेगा।
22	ठेकेदार निविदा सबमिट करने से पूर्व विस्तृत प्रांक्कलन/शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देख सकते हैं।
23	सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी तथा किसी भी स्तर पर निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/मा. अध्यक्ष, जिला पंचायत में निहित होगा।
24	कार्य को पूर्ण करने की तिथि कार्य आदेश निर्गत होने से तीन माह होगी।

क्र.सं.	योजना	विकास खण्ड	परियोजना का विवरण	लागत (जी.एस.टी. रहित)	जमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य (जी.एस. टी. सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	15वॉं वित्त आयोग (अनटाईड)	सम्भल	ग्राम सलारपुर लिंक रोड से रमजानी के घर तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य।	9,32,203.00	19,000.00	1,180.00
2	पंचम राज्य वित्त आयोग	बनियाखेड़ा	ग्राम मैंनपुरी में मैंन रोड से शमशान तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य।	10,42,127.00	21,000.00	1,298.00
3	पंचम राज्य वित्त आयोग	बहजोई	ग्राम बरखेड़ा में सौनक में अजयपाल के घर से बंगर तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य।	21,16,156.00	42,324.00	2,596.00
4	पंचम राज्य वित्त आयोग	बहजोई	ग्राम बेहटा जय सिंह में जिला पंचायत भवन के आवश्यक अवशेष कार्य।	21,18,518.00	42,400.00	2,596.00
5	पंचम राज्य वित्त आयोग	बहजोई	ग्राम बेहटा जय सिंह में जिला पंचायत कार्यालय भवन परिसर के बाहर नाला/पुलिया एवं नाली निमार्ण कार्य।	21,17,558.00	42,400.00	2,596.00
6	पंचम राज्य वित्त आयोग	बहजोई	ग्राम बेहटा जय सिंह में जिला पंचायत कार्यालय भवन के सम्पर्क मार्ग पर सी.सी. निर्माण कार्य।	12,64,860.00	25,300.00	1,534.00
7	पंचम राज्य वित्त आयोग	बहजोई	ग्राम बेहटा जय सिंह में जिला पंचायत कार्यालय भवन के गेटों का निर्माण कार्य।	21,18,261.00	42,400.00	2,596.00
8	15वॉं वित्त आयोग (टाईड)	बनियाखेड़ा	ग्राम धनुपुरा में गॉव से तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	6,71,143.00	13,500.00	1,180.00
9	तदैव	सम्भल	ग्राम महमूदपुर कुन्ज के तालाब पर तरल अपशिष्ट प्रबन्धन चेम्बर निर्माण कार्य।	4,12,813.00	8,300.00	590.00
10	तदैव	सम्भल	ग्राम सिरसानाल के प्राईमरी स्कूल वाले तालाब पर तरल अपशिष्ट प्रबन्धन चेम्बर निर्माण कार्य।	4,19,035.00	8,400.00	590.00
11	15वॉं वित्त आयोग (अनटाईड)	सम्भल	ग्राम गुरसरी में सम्पर्क मार्ग जिला पंचायत भूमि तक सी. सी. कार्य।	3,72,604.00	7,500.00	590.00

नोटः– उक्त विज्ञप्ति की शर्तों/कार्यों का सम्पूर्ण विवरण पोर्टल http://sambhal.nic.in, https://etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है।

अभियन्ता
जिला पंचायत,सम्भल

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल

निर्धारित शपथ पत्र

नोटरी से
प्रमाणित
नवीनतम
फोटो चस्पा
किया जाये

शपथ–पत्र

समक्षः– **श्रीमान अपर मुख्य अधिकारी,**
जिला पंचायत, सम्भल (कार्यालय बहजोई)।

मैं (फर्म का नाम लिखे)..शपथकर्ता श्री..पुत्र श्री..निवासी..का निवासी हूँ मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करती हूँ/करता हूँः–

मैं .... (विभाग का नाम) का पंजीकृत ठेकेदार हूँ। मैं आपके विभाग के कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम हूँ। मुझे निर्माण कार्यों का पर्याप्त अनुभव है तथा इससे सम्बन्धित समस्त मशीनरी आदि उपलब्ध है।

1. यह कि मेरे द्वारा जिला पंचायत, सम्भल द्वारा जो (कार्य का नाम लिखा जाये).. .... कराने की ई–निविदा आमंत्रित की गयी हैं उसके लिए मैं ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर निविदा सबमिट कर रही हूँ/रहा हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर आनलाइन अपलोड किये जाने वाले अभिलेख (पृथक–पृथक अभिलेखों का नाम लिखे–क्रमबार):– ....
....
....
....
.... ।
3. यह कि मेरा पैन नम्बर ....जी.एस.टी. नम्बर.. है।
4. यह कि मेरे विरूद्ध अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है :– यहाँ पूरा विवरण दिया जाये
   1. मुकदमा नम्बर : ....
   2. धारायें : ....
   3. थाना : ....
   4. जनपद : ....
   5. न्यायालय (जहाँ मुकदमा चल रहा है) : ....

7\. यह कि मैं जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेट ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं अपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असामाजिक कार्यों आदि में लिप्त नहीं हूँ। मैं माफिया और अपराधि नहीं हूँ। मेरा चाल–चलन, कार्य तथा आचरण उत्तम है।

5\. यह मेरे विरूद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है।

6\. यह कि, यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात मेरे विरूद्ध माफिया गतिविधियें/असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के वारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दें। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गवन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायेंगे।

7\. यह कि मैं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूरा करूंगी/करूँगा और जिला पंचायत, सम्भल का पूरा सहयोग प्रदान करूंगी/करूँगा।

8\. यह कि मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।

9. यह कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थाई पता और अस्थाई पता निम्न प्रकार हैः—

(अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित) :..

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित) :..

(यहाँ पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिनकोड लिखा जाय)

10. यह कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ/रहता हूँ तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य को पूरा होन तक मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में परिवर्तन होता है तो सूचना में तत्काल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को दूँगी/दूँगा।

11. यह कि मैं यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि जिला पंचायत, सम्भल के जिस कार्य के लिए मेरे द्वारा न्यूनतम होने के दशा में ठेका जायेगा उसके सापेक्ष चल एवं अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण—पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्ट्रेट जनपद...द्वारा प्राप्त की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

12. यह कि मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशो—हवाश में, स्वस्थवित्त से, पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ पत्र लिखकर दे रही हूँ/रहा हूँ। ईश्वर/अल्लाह मेरी मद्द करे।

दिनांक ....

शपथी का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम..

पता..

नोटः— 1. यह स्वघोषणा शपथ—पत्र रू0 100/— (रू. एक सौ) के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।

2. असत्य शपथ—पत्र देना एक संगीन और संज्ञेय अपराध है।

3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोट साइज का अपना फोटोग्राफ, जो, शपथ पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा करते हुए नोटरी से प्रमाणित करना होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by ASHISH SINGH
Date: 2026.05.11 23:49:30 IST
Location: Uttar Pradesh-UP